संख्या- 3/2015 /273 /35-3-2015-1(23)/2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 3 मार्च,2015**

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में शासनादेश संख्या-889/35-3-2013-1(23)/2014 दिनांक: 13 नवम्बर, 2014 के द्वारा ग्रामीण सड़क निर्माण की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु रू.691.12 लाख की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, प्रथम किश्त के रूप मे रू. 468.71 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 222.41 लाख (रू. दो करोड़ बाइस लाख इकतालिस हजार मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू.)

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
		कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग			
हरैया सतघरवा	1.	भयौयाडीह से लालपुर विशुनपुर के बीच हेंगहा नाले पर (3x5मी) स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण1	90.42	54.25	36.17
हरैया सतघरवा	2.	गुरूदासपुर से बरहवा सम्पर्क मार्ग के बीच हगनी नाले पर (30मी0) लम्बाई मे डिप निर्माण।	36.61	36.61	-

http://shas.rajesh up.nic.in

तुलसीपुर	3.	गदाखउवा से बेलीखुर्द सम्पर्क मार्ग के बीच गदाखउवा नाले पर (3x5मी) स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निमाण।	79.66	47.80	31.86
तुलसीपुर	4.	जुमाईडीह से प्रेमनगर सम्पर्क मार्ग के बीच लठहवा नाले पर (2x5मी) स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	70.21	42.13	28.08
गैसडी	5.	कुसमौरा से मजगंवा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण शून्य से लेपन स्तर (लम्बाई-0.750किमी)	45.25	27.15	18.10
गैसडी	6.	बघेलखण्ड गोठवां मार्ग से रानियापुर तक सम्पर्क मार्ग शून्य से लेपन स्तर(लम्बाई - 1.200कि.मी.)	73.84	44.30	29.54
पचपेडवा	7.	बिजुआ से चोरसी तक सम्पर्क मार्ग निमार्ण शून्य से लेपन स्तर-लम्बाई-2.10 कि.मी.	98.07	58.83	39.24
पचपेडवा	8.	चोरसी के पूरब मनोरमा नाले पर (2x5मी) स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	98.54	59.12	39.42
		योग- (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग)	592.60	370.19	222.41
		कार्यदायी संस्था - वनविभाग			
पचपेडवा	9.	सीमा स्तम्भ-16 से भैारीसाल कक्ष सं.-1 की दक्षिण सीमा तक खडन्जा निर्माण लम्बाई 2.307कि.मी.	35.18	35.18	-
गैसडी	10.	मजगवा नहर पुलिया से पथरहवा नाले के मध्य तक खडन्जा निर्माण कार्य लम्बाई 0.643 कि.मी.	9.84	9.84	-
गैसडी	11.	उल्टहवा नाला से मूसीनाला के मध्य तक खडन्जा निर्माण कार्य लम्बाई 0.561 कि.मी.	8.58	8.58	-
गैसडी	12.	सोनगढा गांव से उत्तर खडन्जा मार्ग से सोनगढा कक्ष संख्या-3तक खण्डन्जा निर्माण लम्बाई 2.307 कि.मी.।	35.18	35.18	-
तुलसीपुर	13.	नन्दमहरा बीट-नन्दमहरा कक्ष सक्ष्या-4 में चेकडैम का निर्माण।	9.74	9.74	-
		योग - (वन विभाग)	98.52	98.52	0
		कुल योग (सडक निर्माण)	691.12	468.71	222.41

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 13 नवम्बर, 2014 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि

http://basanadesh.pnc.in

के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग का उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्यात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्यो के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बॉडर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सडक निर्माण कार्य-03-सडकों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014,दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-3/2015 / 273 (1)/35-3-2015-1(23)/2014</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।

2- प्रमुख सचिव, लोक निमार्ण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग / वन विभाग उ0प्र0 शासन ।

3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।

4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।

5- **निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**

6- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।**

7- **अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।**

8- **कोषाधिकारी, बलरामपुर ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

9- **वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग**-5/**लोक निमार्ण विभाग अनुभाग**-9/**ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग**-1/ **वन अनुभाग**-3 **।**

10- **उप निदेशक**, (**अर्थ एवं संख्या**) **देवीपाटन मण्डल।**

11- **अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **बलरामपुर ।**

12- **राज्य योजना आयोग-।**

13- **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasa desh.up.nic.n

http://shas nadesh.up.nic.in